

मध्यप्रदेश शासन
खेल एवं युवक कल्याण विभाग



मध्यप्रदेश खेल एवं युवक कल्याण (राजपत्रित)
सेवा भरती नियम
1988

भोपाल
शासन केन्द्रीय मन्त्रालय
1988

मध्यप्रदेश शासन

खेल और युवक कल्याण विभाग

भरती नियम

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 1988

क्र. 1-3-83-नौ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश खेल और युवक कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश खेल और युवक कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम 1988 है.

ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) सेवा के सम्बन्ध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है राज्य सरकार;

(ख) “आयोग” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ग) “परीक्षा” से अभिप्रेत है प्रतियोगी परीक्षा जो कि सेवा में भरती के लिए इन नियमों के नियम 11 के अधीन ली जाती हो;

(घ) “अनुसूची” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ङ) “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है कोई जाति, नूलवंश या जनजाति या ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(च) “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है कोई जाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(छ) “सेवा” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश खेल और युवक कल्याण (राजपत्रित) सेवा.

3. विस्तार तथा लागू होना.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिए गए उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. सेवा का गठन.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भरती किए गए हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार, सेवा में भरती किए गए हों.

5. वर्गीकरण, वेतनमान, आदि.—सेवा का वर्गीकरण, उसके पदों का वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगी:

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से वृद्धि कर सकेगी या कमी कर सकेगी.

6. भरती का तरीका.—(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद सेवा में भरती निम्नलिखित तरीके से की जाएगी, अर्थात्:—

(क) (1) सीधी भरती द्वारा, (2) चयन प्रतियोगी परीक्षा द्वारा,

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [जैसा कि अनुसूची-चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट है];

(ग) उन व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जो ऐसी सेवा में ऐसे पद मूलतः धारण किए हों, जो कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जायें.

(2) उप नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची-एक में पथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, भरती की किसी भी विशेष कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में की किसी भी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के

लिए अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक हो तो सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भरती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीकों अपना सकेगी, जो वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे।

7. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद सेवा में समस्त नियुक्तियाँ सरकार द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन किए जाने के बाद ही की जाएगी अन्यथा नहीं।

8. सीधी भरती की पात्रता की शर्तें.—परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए, अर्थात्:—

(एक) आयु.—(क) अभ्यर्थी ने परीक्षा प्रारम्भ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को आयु प्राप्त कर ली हो जैसी कि अनुसूची तीन के कालम (3) में दर्शाई गई है किन्तु ऐसी आयु प्राप्त न की हो जैसी कि उक्त अनुसूची के कालम (4) में दर्शाई गई है।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हों अथवा कर्मचारी रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा में भी नीचे दी गई सीमा तक तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए छूट दी जाएगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी सरकारी सेवक हो, उसकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी सरकारी सेवक हो और किसी अन्य पद के लिए आवेदन करता हो, उसकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी स्वीकार्य होगी।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को जो छूटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की

कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायगा परन्तु उसके परिणामस्वरूप आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो,

स्पष्टीकरण.—पद “छूटनी किए गए सरकारी सेवक” से द्योतक ऐसे व्यक्ति से है जो इस राज्य या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छह मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा किन्तु उसके परिणामस्वरूप आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण.—पद “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की अवधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने की अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्वमितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण जिसकी छूटनी की गई हो अथवा जो अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित किया गया हो:—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवामुक्त कर दिया गया हो।

(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भरती किया गया हो और — अलकालीन अवधि पूर्ण हो जाने (क) पर, भरती संबंधी शर्तों के पूर्ण हो जाने (ख) पर सेवामुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी।

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जो उनकी संविदा के पूरे होने पर सेवामुक्त किए गए हों, जिसमें अलकालीन अवधि में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं।

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक बनने योग्य नहीं रहे।

(8) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसको गोली लगने से घाव हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(घ) मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारियों को उच्चतर आयु सीमा में 38 वर्ष तक की छूट दी जाएगी ;

(ङ) विधवा अभ्यर्थियों के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष होगी ;

(च) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकांडे धारण करने वाले अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष तक की छूट दी जाएगी ;

(छ) आदिम जाति, हरिजन और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 15 वर्ष तक की छूट दी जाएगी ;

(ज) "विक्रम पुरस्कार" से सम्मानित खिलाड़ी अभ्यर्थियों को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी ;

(झ) उच्चतर आयु में स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान-कमीशंड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि तक, जो कि 8 वर्ष की सीमा के अधीन होगी, छूट दी जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनको आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी :—ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत परीक्षा/चयन के योग्य माना गया हो, उस स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे जबकि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् परीक्षा के पहले अथवा बाद में वे सेवा से त्याग पत्र दे दें। तथापि वे पात्र बने रहेंगे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा से अथवा पद से उन्हें छूटनी किया गया हो।

किन्हीं भी अन्य मामलों में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जाएगी।

(1) शैक्षणिक अर्हता:— उनके पास ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए जो कि सेवा के लिए अनुसूची-तीन में दर्शाई गई है : परन्तु—

(क) आपवादिक मामलों में आयोग, सरकार की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विहिप की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएँ ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो आयोग की राय में परीक्षा में अभ्यर्थी के प्रवेश को न्यायोचित ठहराता हो; और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों के जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है, आयोग के विवेकानुसार परीक्षा में प्रवेश के लिए भी विचार किया जा सकेगा।

(तीन) फीस—उसे आयोग द्वारा विहिप की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हता—अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को आयोग द्वारा परीक्षा में प्रवेश के लिए निरर्हता के रूप में ठहराया जा सकता है।

(2) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा—परीक्षा में प्रवेश हेतु ग्राह्य किये जाने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है परीक्षा हेतु ग्राह्य नहीं किया जायेगा।

11. चयन प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भरती—(1) सीधी भरती प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार से अथवा केवल साक्षात्कार से होगी जिसका निर्णय आयोग द्वारा प्रत्येक अवसर पर लिया जायेगा।

(2) यदि आयोग प्रतियोगी परीक्षा लेने का निर्णय लेता है तो आयोग द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार ली जाएगी जो कि सरकार आयोग के परामर्श से समय-समय पर जारी करें।

(3) सीधी भरती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से 15 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रिक्तियां उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी जो क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के सदस्य हैं।

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक बनने योग्य नहीं रहे।

(8) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसको गोली लगने से घाव हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(घ) मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारियों को उच्चतर आयु सीमा में 38 वर्ष तक की छूट दी जाएगी ;

(ङ) विधवा अभ्यर्थियों के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष होगी ;

(च) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकांड धारण करने वाले अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष तक की छूट दी जाएगी ;

(छ) आदिम जाति, हरिजन और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 15 वर्ष तक की छूट दी जाएगी ;

(ज) "विक्रम पुरस्कार" से सम्मानित खिलाड़ी अभ्यर्थियों को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी ;

(झ) उच्चतर आयु में स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान-कमिशन अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि तक, जो कि 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन होगी, छूट दी जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी :—ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत परीक्षा/चयन के योग्य माना गया हो, उस स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे जबकि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् परीक्षा के पहले अथवा बाद में वे सेवा से त्याग पत्र दे दें। तथापि वे पात्र बने रहेंगे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा से अथवा पद से उन्हें छंटनी किया गया हो।

किन्हीं भी अन्य मामलों में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जाएगी।

(1) शैक्षणिक अर्हताएं.—उत्तरे पास ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जो कि सेवा के लिए अनुसूची-तीन में दर्शाई गई हैं :

परन्तु—

(क) आपवादिक मामलों में आयोग, सरकार की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएँ ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो आयोग की राय में परीक्षा में अभ्यर्थी के प्रवेश को न्यायोचित ठहराता हो; और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों के, जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से, जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है, आयोग के विवेकानुसार परीक्षा में प्रवेश के लिए भी विचार किया जा सकेगा।

(तीन) फीस.—उसे आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हता.—अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को आयोग द्वारा परीक्षा में प्रवेश के लिये निरर्हता के रूप में ठहराया जा सकता है।

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा.—परीक्षा में प्रवेश हेतु ग्राह्य किये जाने के लिये अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा हेतु ग्राह्य नहीं किया जायेगा।

11. चयन प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भरती.—(1) सीधी भरती प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार से अथवा केवल साक्षात्कार से होगी, जिसका निर्णय आयोग द्वारा प्रत्येक अवसर पर लिया जायेगा ;

(2) यदि आयोग प्रतियोगी परीक्षा लेने का निर्णय लेता है, तो आयोग द्वारा परीक्षा ऐसे आवेदनों के अनुसार ली जाएगी जो कि सरकार आयोग के परामर्श से, समय-समय पर, जारी करे।

(3) सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से 15 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रिक्तियाँ उन अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखी जाएंगी जो क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों को, जो प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किए जाएं यथा स्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के लिये उक्त नियम (3) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) (i) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों उनके लिये आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो ऐसी शेष रिक्तियां सामान्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी तथा आगामी परीक्षा में यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां रखी जाएंगी :

परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या अग्रणीत (केरीड फारवर्ड) रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए विज्ञापित की गई कुल रिक्तियों के पैंतालीस प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(7) चयन द्वारा सीधी भरती.—(i) सेवा में भरती के लिये चयन ऐसे अन्तराल में होगा जिसका निर्णय शासन आयोग के परामर्श से समय-समय पर लेगा।

(ii) उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा साक्षात्कार से किया जायेगा।

12. आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.—

(1) आयोग, ऐसे अभ्यर्थियों को, जो ऐसे स्तर से, जैसा कि आयोग अवधारित करे, अर्ह हो, तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थियों की, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित न हों, फिर भी प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये योग्य घोषित किए गए हों, अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम से बनाई गई एक सूची सरकार को अग्रेषित करेगा। सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित किया जाएगा।

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश मिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये उस क्रम से विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हैं।

नी में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना अधिकार प्रदान नहीं करता जब तक कि सरकार पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह

समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—(1) पदोन्नति के लिये पात्र अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अनुसूची चार में वर्णित सदस्य होंगे।

(2) समिति सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक के अन्तरालों में अपनी बैठक करेगी।

(3) ऐसे पदों में पदोन्नति के लिये उपलब्ध रिक्तियों का, जिनमें पदोन्नति की प्रतिशतता 33½ या उससे अधिक हो, जैसा कि अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट किया गया है, 15 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उन अधिकारियों के लिये आरक्षित रहेगा, जो नियम 14 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति के लिये पात्र हों।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने के लिये प्रक्रिया, सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर, जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

14. पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.—(1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) जो कि अनुसूची चार के कालम (2) में वर्णित है उन पदों पर जो कि अनुसूची चार के कालम (4) में वर्णित है, राज्य सरकार द्वारा उनके समकक्ष घोषित पद या पदों पर पूर्ण कर ली हो तथा जो उप नियम (2) के अनुसार विचारण के क्षेत्र (जोत आफ कन्सीडरेशन) के भीतर आते हों:

परन्तु आपातकालीन कमीशन तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन से नियुक्त किये गए अधिकारियों की सेवा की गणना, सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात्, उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख से उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2266-1987-एक (3)-67 तारीख 21 अक्टूबर 1967 के अनुसार सेवा में नियुक्त किया समझा गया हो:

परन्तु यह और भी कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को, उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमानता देकर प्रवर श्रेणी पदोन्नति के लिये केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जाएगा कि उसने विहित सेवा पूर्ण कर ली है।

(2) चयन क्षेत्र योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन पुत्रों में सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या में साधारणतया सात गुना तक और वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या सामान्यतया पांच गुना तक सीमित होगा:

परन्तु इस प्रकार अवधारित किये गए क्षेत्र में यदि अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो तो उस क्षेत्र को उस सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा जो समिति द्वारा लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए आवश्यक समझी जाए।

15. उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना.—(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपरोक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त ठहराये गए हों। यह सूची चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। उक्त सूची में सम्मिलित किये गए व्यक्तियों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये भी तैयार की जाएगी।

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिये किया जाने वाला चयन वरिष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा।

(3) ऐसी चयन सूची को तैयार करते समय सूची में सम्मिलित अधिकारियों के नाम अनुसूची चार के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे :

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को, जो समिति की राय में असाधारण रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, उससे वरिष्ठ अधिकारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण.—ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधिमाम्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्वतः चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्-वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का दावा नहीं होगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।

(5) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

16. आयोग से परामर्श.—विभागीय पदोन्नति समिति की, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा की गई हो सिफारिश के संबंध में यह समझा जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के

खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आयोग के साथ परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन हो गया है।

17. चयन सूची.—(1) सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, सेवा के सदस्यों की [जो कि अनुसूची चार के कालम (2) में दर्शाये गए हैं] सेवा में [जो कि अनुसूची चार के कालम (3) में दर्शाये गए हैं] पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची समान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 15 के उप नियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधि मान्यता ऐसी सूची तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि के प नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की श्रौर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, सरकार तथा आयोग द्वारा चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा।

18. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—(1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के अंतर्गत आने वाले पद पर नियुक्ति उसी क्रम से की जाएगी जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में हों।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ गई हो, जो सरकार की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त हो गया हो।

19. परीक्षा.—सेवा में सीधी भरती किये गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

20. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

21. शिथिलीकरण.—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में कार्यवाही करने की जो उसे न्यायसंगत और साम्प्रदायिक प्रतीत होती हो, शक्ति को सीमित या कम करती हो :

परन्तु कोई, मामला ऐसी रीति में नहीं निबटारा जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

22. व्यावृत्ति.—इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंध किये जाने के लिये आपेक्षित अरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

23. निरसन और व्यावृत्ति.—इन नियमों के तत्स्थानी तथा इनके प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पण्डित, प्रमुख सचिव।

अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिये)

सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (1)	पदों की संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतनमान (4)
1. संचालक	1	प्रथम श्रेणी	3200—100—3500—125—4500
2. उप संचालक	1	प्रथम श्रेणी	2600—75—2800—100—4200
3. खेलकूद अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	1820—60—2300—75—3200—100—3300
4. युवक कल्याण अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	1820—60—2300—75—3200—100—3300
5. रीजनल स्पोर्ट्स आफिसर	5	द्वितीय श्रेणी	1820—60—2300—75—3200—100—3300
6. प्रशासनिक अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	1820—60—2300—75—3200—100—3300
7. छात्रावास अधीक्षक सह प्रशिक्षक	1	द्वितीय श्रेणी	1540—40—1620—50—2320—60—2740
8. मुख्य लेखा परीक्षक	1	द्वितीय श्रेणी	1540—40—1620—50—2320—60—2740

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिये)

विभाग का नाम (1)	सेवा का नाम (2)	कर्तव्य पदों की कुल संख्या (3)	भर जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		
			सीधी भरती द्वारा सेवा के मूल सदस्यों नियम 6(क) देखिये की पदोन्नति द्वारा नियम 6 (ख) देखिये	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा नियम 6 (ग) देखिये	
			(4)	(5)	(6)

खेल और युवक कल्याण विभाग मध्यप्रदेश युवक कल्याण (राजपत्रित) सेवा

1. संचालक

1

100 प्रतिशत

यदि उपयुक्त अधिकारी पदोन्नति के लिये उपलब्ध न हों तो राज्य शासन की अन्य सेवा से प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण एवं संविलियन द्वारा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. उप संचालक			100 प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा/उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर राज्य शासन की अन्य सेवा से प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण एवं संविलियन द्वारा.
	3. खेलकूद अधिकारी	1	..	100 प्रतिशत	
	4. युवक कल्याण अधिकारी	1	..	100 प्रतिशत	
	5. रीजनल स्पोर्ट्स आफिसर	5	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	
	6. प्रशासकीय अधिकारी	1	..	100 प्रतिशत	
	7. छात्रावास अधीक्षक सह प्रशिक्षक	1	100 प्रतिशत	..	
	8. मुख्य लेखा परीक्षक	1	100 प्रतिशत कोष एवं लेखा संचालनालय में समकक्ष पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के स्थानांतरण एवं संविलियन द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा.

अनुसूची—तीन

(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	विहित की गई शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खेल और युवक कल्याण विभाग	1. छात्रावास अधीक्षक सह प्रशिक्षक	21 वर्ष	30 वर्ष	1. प्रथम श्रेणी में स्नातक या बी. पी. एड. 2. विश्वविद्यालय स्तर तक किसी एक ओलंपिक खेल में प्रवीणता.	
	2. रीजनल स्पोर्ट्स आफिसर	21 वर्ष	30 वर्ष	तदेव	

अनुसूची—चार

(नियम 13 देखिये)

विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	पदोन्नतिके लिये अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 13 देखिये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खेल और युवक कल्याण विभाग	प्रथम श्रेणी 1. उप संचालक	प्रथम श्रेणी संचालक	5 वर्ष	1. मुख्य सचिव ... अध्यक्ष 2. वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव ... सदस्य 3. विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव ... सदस्य 4. विभाग के संयुक्त सचिव या उपसचिव ... संयोजक
	द्वितीय श्रेणी	प्रथम श्रेणी		
	1. युवक कल्याण अधिकारी	उप संचालक	5 वर्ष	1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत आयोग का सदस्य ... अध्यक्ष 2. विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव ... सदस्य 3. संचालक, खेल और युवक कल्याण ... सदस्य
	2. खेलकूद अधिकारी			
	3. प्रशासकीय अधिकारी			
	4. रीजनल स्पोर्ट्स आफिसर			
	द्वितीय श्रेणी	द्वितीय श्रेणी		
	1. छात्रावास अधीक्षक सह प्रशिक्षक	खेलकूद अधिकारी	5 वर्ष	तदेव
	तृतीय श्रेणी	द्वितीय श्रेणी		
	1. संभागीय संगठक	रीजनल स्पोर्ट्स आफिसर	5 वर्ष	तदेव
	2. कनिष्ठ लेखा अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक	प्रशासनिक अधिकारी	5 वर्ष	तदेव

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 1988

क्र. फा 1-3-83-नौ—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. फा. 1-3-83-नौ, दिनांक 29 नवम्बर 1988 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पण्ड्या, प्रमुख सचिव.

RECRUITMENT RULES

Bhopal, the 29th November 1988

No. I-3-83-IX.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following rules relating to the recruitment the Madhya Pradesh Sports and Youth Welfare (Gazetted) Services Recruitment Rules, namely :—

1. Short title and commencement.—These rules may be called the Madhya Pradesh (Sports and Youth Welfare Gazetted) service Recruitment Rules, 1988.

These rules shall come into force with effect from the date of publication in the "Madhya Pradesh Gazette."

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires:—

- (a) "Appointing Authority" in respect of the Service means the Government;
- (b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;
- (c) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under rule 11 of these rules;
- (d) "Schedule" means a schedule appended to these rules;
- (e) "Scheduled Caste" means any caste, race or tribe or part of or group within caste, race or tribe specified as scheduled caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (f) "Scheduled Tribe" means any tribe or tribal community or part of or group within tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
- (g) "Service" means the Madhya Pradesh Sports and Youth Welfare (Gazetted) Service.

3. Scope and Application.—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General conditions of Service) Rules, 1961. These rules shall apply to every member of the Service.

4. Constitution of the Service.—The Service shall consist of the following persons, namely :—

- (1) persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in the schedule ;

(2) persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification Scale of pay etc.—The classifications of the Service, the scale of pay attached etc. and the number of posts included in the Service shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule I:

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the Service, either in a permanent or temporary basis.

6. Method of Recruitment.—(1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be, by the following methods, viz:—

- (a) (i) By Direct Recruitment;
- (ii) By Selection/Competitive Examinations.
- (b) By promotion of members already in the (as in column 2 of Schedule IV) Service;
- (c) by transfer of persons who hold in substantive capacity such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause(c) of sub-rule(1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of duty posts (as specified in Schedule I).

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the Service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the Service so require, the Government may, with, prior concurrence of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. Appointment to the Service.—All appointments to the Service after the commencement of these Rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection

by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility of direct recruitment.—In order to be eligible to compete at the examination a candidate must satisfy the following conditions, viz.—

- (1) **Age.**—(a) The candidate must have attained the age as in column (3) Schedule III and not attained the age as in column (4) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination.
- (b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
- (c) The upper age limit will also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:—
 - (i) A candidate who is a permanent Government servant should not be more than 38 years of age,
 - (ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, workcharged employees and employees working in the Project Implementing Committees.
 - (iii) A candidate who is retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term “Retrenched Government Servant” denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

- (iv) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term “ex-serviceman” denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service:—

- (1) Ex-servicemen released under mustering out concessions,
- (2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on (a) completion of short term engagement, (b) fulfilling the conditions of enrolment,
- (3) Ex-personnel of Madras Civil Unit,
- (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers),
- (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies,
- (6) Ex-servicemen invalided out of service,
- (7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers,
- (8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.
- (d) The upper age limit will be relaxable up to 38 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporations/Boards;
- (e) The General upper age limit for widow candidates will be 35 years;
- (f) The upper age limit will be relaxable up to 2 years in respect of those candidates who are

Green Card holders under the Family Welfare Programme;

- (g) The General upper age limit will be relaxable up to 5 years in respect of a Savarna Partner who has been awarded under the Inter Caste Marriage incentive scheme of the Tribal, Harijan and Backward Classes Welfare Department;
- (h) The general age limit will also be relaxable up to 5 years in respect of these sportsmen candidates who are "Vikram Award" holders.
- (i) The upper age limit will be relaxed in the case of voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

N. B.—Candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in rule 8(c)(i) and (ii) above will not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

In no other case will these age limit be relaxed.

- (ii) **Educational qualifications.**—He must possess the Educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule III.

Provided that :

- (a) In exceptional cases, the Commission may, on the recommendation of the Government, treat as qualified a candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed examination, conducted by other institutions by a standard which, in the opinion of the commission, justified the admission of the candidate to the examination.
- (b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign Universities, being Universities not specifically recognised Government may also be admitted to the examination at the discretion of the Commission.
- (iii) **Fees.**—He must pay the fees prescribed by the Commission.

9. Disqualification.—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for admission to the examination.

10. Commission's decision about the eligibility of candidate final.—The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be admitted to the examination.

11. Direct Recruitment by Selection/ Competitive Examination.—(1) Direct Recruitment may be either by Competitive Examination followed by interview or by interview only as the Commission may decide on such occasion.

(2) If the Commission decided to hold the examination, the examination shall be conducted by the Commission in accordance with such orders as the Government may from time to time issued in consultation with the Commission.

(3) 15 per cent. and 18 per cent. of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Caste, and Scheduled Tribes respectively.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, declared by the Commission to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, under sub-rule (3).

(6) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be filled from among general candidates and in the subsequent examinations, an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes:

Provided that the total number of vacancies reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (including the vacancies carried and forwarded) shall not any time exceed fortyfive per cent. of the total vacancies advertised.

(7) **Direct Recruitment by Selection.**—(i) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may decide in consultation with the Commission from time to time.

(ii) Selection of candidates shall be made by the Commission after interviewing them.

12. **List of candidates recommended by the Commission.**—(1) The Commission shall forward to the Government a list arranged in order of merit of the candidates who have a qualified by such standards as the Commission may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes who, may not qualified by that standard, are declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. **Appointment by promotion.**—(1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule IV for making a selectin for promotion of eligible candidates.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) 15% and 18% of the available vacancies for promotion in such posts in which the percentage of promotion is 33½ per cent. or more, as specified in Schedule II, shall be reserved for officers belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are eligible for promotion in accordance with the provisions of rule 14.

(4) Procedure for making promotions in the reserved vacancies shall be in accordance with the instruc-

tions issued by Government in the General Administration Department, from time to time.

14. **Conditions of eligibility for promotion.**—

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the case, of all persons who on the first day of January of that year had completed as mentioned under column 4 of the Schedule IV of service (whether officiating or substantive) in the posts of service mentioned in column 2 of Schedule IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government and are within the zone of consideration, as per sub-rule (2):

Provided that the services of the released officers of the Emergency Commission and Short Service Commission, after their appointment in the service shall be counted from the date from which they have been deemed to have been appointed in the service in accordance with the General Administration Department Memo No. 2266-1987-1(3)-67, dated the 21st October, 1967.

Provided further that any junior person shall not be considered for selection grade promotion in preference to the person senior to him only on the basis of his completing the prescribed service.

(2) The field of selection shall ordinarily be limited to seven times the number of officers to be included in the select list, in respect of posts filled on the basis of merit-cum-seniority and five times the number of officers to be included in the select list in respect of posts filled on the basis of seniority-cum-merit:

Provided that if the required number of suitable officers are not available in the field, so determined the field may be enlarged to the extent considered necessary by the Committee by mentioning the reasons in writing.

15. **Preparation of List of suitable Officers.**—

(1) The committee shall prepare a list of such persons as satisfy the condition prescribed in rule 14 above and as are held by the committee to be suitable for promotion to the Service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of twenty five per cent. of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to seniority.

(3) The names of the officers included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts, as specified in column 2 of Schedule IV, at the time of preparation of each select list :

Provided that any junior officer, who in the opinion of the committee, is of exceptional merit and suitability, may be assigned in the list a higher place than that of officers senior to him.

Explanation.—A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the service, the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. Consultation with the Commission.—The recommendation of the Departmental Promotion Committee presided over by the chairman or a member of the commission shall be deemed to be compliance of the requirement of consultation with the commission under sub-clause (b) of clause 3 of Article 320 of the constitution.

17. Select list.—(1) The List as finally approved by the Government shall form the Select List for promotion of the members of the (as in column 2 Schedule IV) Service to (as in column 3 Schedule IV) Service.

(2) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation :

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission, may if it thinks fit remove the name of such person from the Select List.

18. Appointment to the Service from the Select List.—(1) Appointments of the officers included in the Select List to posts borne on the cadre of the Service shall follow the order in which the names of such officer appear in the Select List.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the Select List to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the Select List and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

19. Probation.—Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

21. Relaxation.—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

22. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

23. Repeal and saving.—All rules corresponding to these rules in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh,

A. K. PANDYA, Principal Secy.

SCHEDULE—I

(See Rule-5)

Name of Posts included in the Service	No. of Posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Director	1	Class I	3200—100—3500—125—4500
2. Dy. Director	1	Class I	2600—75—2800—100—4200
3. Sports Officer	1	Class II	1820—60—2300—75—3200—100—3300
4. Youth Welfare Officer	1	Class II	1820—60—2300—75—3200—100—3300
5. Regional Sports Officer	5	Class II	1820—60—2300—75—3200—100—3300
6. Administrative Officer	1	Class II	1820—60—2300—75—3200—100—3300
7. Hostel Superintendent cum-Coach	1	Class II	1540—40—1620—50—2320—60—2740
8. Chief Accounts Examiner	1	Class II	1540—40—1620—50—2320—60—2740

SCHEDULE—II

(See Rule-6)

Name of Department	Name of Service	Total No. of duty post	Percentage of the number of duty posts to be filled in		
			By direct recruitment vide Rule 6(a)	By promotion of substantive members of the service vide Rule 6(b)	By transfer of pers. from other service vide Rule 6(c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sports & Youth Welfare Department	Madhya Pradesh Youth Welfare (Gazetted) Service				
	1. Director	1	..	100 %	If no suitable officer is available for filling the post by promotion then by deputation/transfer and absorption from other services of the State Government.
	2. Dy. Director	1	..	100 %	By Promotion. In case no suitable candidate is available, then by deputation/transfer and absorption from other services of the State Government.
	3. Sports Officer	1	..	100 %	
	4. Youth Welfare Officer	1	..	100 %	
	5. Regional Sports Officer	5	50 %	50 %	
	6. Administrative Officer	1	..	100 %	
	7. Hostel Superintendent cum-Coach	1	100 %	..	
	8. Chief Accounts Examiner	1	100 % from candidates holding equivalent post in the Directorate of Treasuries and Accounts by deputation/transfer and absorption.

SCHEDULE—III

(See Rule-8)

Name of Department	Name of Service	Minimum age limit	Upper age limit	Education/Qualification prescribed	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sports & Youth Welfare Department	1. Hostel Superintendent cum Coach	21 years	30 Years	1. First Class Graduate or B. E. Ed,	
	2. Regional Sports Officer	21 Years	30 Years	and 2. Efficiency in any of the olympic games at University level.	

SCHEDULE—IV

(See Rule-13)

Name of Department	Name of Service or post from which promotion is to be made	Name of Service or post to which promotion is to be made	Experience for promotion	Name of members of Departmental Promotion Committee (Vide Rule 13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Sports & Youth Welfare Department	1. Deputy Director Class I	Director Class I	5 Years	(1) Chief Secretary	Chairman
				(2) Senior most Additional Chief Secretary.	Member
				(3) Addl. Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary of the Department.	Member
				(4) Joint Secretary or Deputy Secretary of the Department.	Convener
	Class II	Class I			
	2. Youth Welfare Officer	Deputy Director	5 Years	(1) Chairman Public Service Commission or member of P. S. C. nominated by him.	Chairman
	3. Sports Officer				
	4. Administrative Officer				
	5. Regional Sports Officer			(2) Addl. Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary of the Department.	Member
	Class II	Class II			
	6. Hostel Superintendent	Sports Officer/ Youth Welfare Officer	5 Years	(3) Director of Sports and Youth Welfare.	Member
	Class III	Class II			
	7. Divisional Organiser	Regional Sports Officer	5 Years		
	8. Junior Accounts Officer/ Office Superintendent	Administrative Officer	5 Years		



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 जनवरी 2012—माघ 8, शक 1933

खेल एवं युवक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2012

क्रमांक एफ 1-11/2009/नौ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम 1988 के सम्बन्ध में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

∴ संशोधन ∴

1. मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम 1988 के नियम-2 में (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:—
(ज) राज्य से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

2. मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम 1988 की अनुसूची-एक, दो, तीन एवं चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियाँ प्रतिस्थापित की जाये अर्थात्

अनुसूची - एक
(नियम 5 देखिए)

	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
	1	2	3	4
1.	संचालक	1	प्रथम श्रेणी	37400-67000+8900
2.	संयुक्त संचालक	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600
3.	उप संचालक संभागीय खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी	5 7	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600
4.	खेल अधिकारी युवक कल्याण अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी सहायक संचालक	1 1 1 50 3	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+4200

अनुसूची - दो
(नियम 6 देखिए)

अनु. क.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		
				सीधी भरती द्वारा नियम 6 (क) देखिये	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6 (ख) देखिए	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा नियम 6 (ग) देखिए
1	2	3	4	5	6	7
	खेल और युवा कल्याण	म.प्र.युवा कल्याण (राजपत्रित) सेवा				
1.		संचालक	1	-		अखिल भारतीय सेवा से प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा

अनु. क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		
				सीधी भरती द्वारा नियम 6 (क) देखिये	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6 (ख) देखिए	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा नियम 6 (ग) देखिए
1	2	3	4	5	6	7
100 प्रतिशत	उप संचालक	संयुक्त संचालक	युवक 1	—	100 प्रतिशत	उप संचालक/संभागीय खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा
3.		उप संचालक संभागीय खेल और युवा कल्याण अधिकारी	5 7	—	100 प्रतिशत	(एक पद उपसंचालक कोष एवं लेखा से समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति से भरा जावेगा) शेष 4 पद खेल अधिकारी/ युवक कल्याण अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी/ सहायक संचालक/ जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा
4		खेल अधिकारी	1	100 प्रतिशत	—	लागू नहीं ।
		युवक कल्याण अधिकारी	1	100 प्रतिशत	—	लागू नहीं ।
		प्रशासनिक अधिकारी	1	—	100 प्रतिशत	अधीक्षक/स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 से पदोन्नति द्वारा
		सहायक संचालक	3	67 प्रतिशत	33 प्रतिशत	अधीक्षक/स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 से पदोन्नति द्वारा
		जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी	50	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	प्रशासक/वार्डन/प्रशिक्षक से पदोन्नति द्वारा

अनुसूची - तीन
(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	विहित की गई शैक्षणिक अर्हता
1	2	3	4	5
1. खेल और युवा कल्याण	1. खेल अधिकारी 2. युवक कल्याण अधिकारी 3. जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी 4. सहायक संचालक	21	35	स्नातक के साथ एम.पी.एड./ एम.पी.ई. एवं राष्ट्रीय खेल अथवा अधिकृत सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रतिनिधित्व

अनुसूची - चार
(नियम 13 देखिए)

विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम, जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	पदोन्नति के लिए अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम-13 देखिए)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
खेल और युवा कल्याण	1. उप संचालक, 2. संभागीय खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी	संयुक्त संचालक	5 वर्ष	1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित सदस्य 2. विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव 3. संचालक, खेल और युवा कल्याण 4. समकक्ष संवर्ग का अनुसूचित जाति / जन जाति का प्रतिनिधि	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य
	1. खेल अधिकारी 2. युवक कल्याण अधिकारी 3. सहायक संचालक	उप संचालक	5 वर्ष	1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित सदस्य	अध्यक्ष

विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम, जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	पदोन्नति के लिए अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम-13 देखिए)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
2. विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव	4. प्रशासनिक अधिकारी			2. विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव	सदस्य
				3. संचालक, खेल और युवा कल्याण	सदस्य
				4. समकक्ष संवर्ग का अनुसूचित जाति/जन जाति का प्रतिनिधि	सदस्य
	जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी	संभागीय खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी	5 वर्ष	1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित सदस्य	अध्यक्ष
				2. विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव	सदस्य
				3. संचालक, खेल और युवा कल्याण	सदस्य
				4. समकक्ष संवर्ग का अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रतिनिधि	सदस्य
	अधीक्षक/स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	प्रशासनिक अधिकारी/ सहायक संचालक	5 वर्ष	1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित सदस्य	अध्यक्ष
				2. विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव	सदस्य
				3. संचालक, खेल एवं युवा कल्याण	सदस्य
				4. समकक्ष संवर्ग का अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रतिनिधि	सदस्य
	प्रशासक/ वार्डन/प्रशिक्षक	जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी	5 वर्ष	1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित सदस्य	अध्यक्ष
				2. विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव	सदस्य

विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम, जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	पदोन्नति के लिए अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम-13 देखिए)		अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
				3. संचालक, खेल एवं युवा कल्याण	सदस्य	
				4 समकक्ष संवर्ग का अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रतिनिधि	सदस्य	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक शाह, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2012

क्रमांक एफ 1-11/2009/नौ - मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम 1988 के सम्बन्ध में संशोधन हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक क.एफ.1-11/2009/नौ भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद द्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक शाह, सचिव.

Bhopal, the 28th January 2012

No.F 1-11/2009/IX, in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Sports and Youth Welfare (Gazetted) Services Recruitment Rules 1988, namely:-

AMENDMENT

1. In rule 2 after clause (g), the following clause shall be added namely:-
(h) "State" means the Madhya Pradesh State.

for the existing schedule-I II,III and IV, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE-I
(See Rule-5)

Sr. No.	Name of Posts Included in the Service	No. of Posts	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4	5
1	Director	1	Class I	37400-67000+8900
2	Joint Director	1	Class I	15600-39100+ 7600
3	Deputy Director/ Divisional Sports and Youth Welfare Officer	5 7	Class I	15600-39100+ 6600
4	Sports Officer	1	Class II	9300-34800+ 4200
	Youth Welfare Officer	1		
	Administrative Officer	1		
	District Sports and Youth Welfare Officer	50		
	Assistant Director	3		

SCHEDULE-II
(See Rule-6)

S.No.	Name of Department	Name of Service	Total no. of duty post	Percentage of the number of duty posts to be filled in		
				By Direct Recruitment Vide Rule 6(a)	By promotion of substantive member of the service vide rule 6(b)	By Transfer of Pers. from other service vide rule 6(c)
1	2	3	4	5	6	7
	Sports & Youth Welfare	Madhya Pradesh Youth Welfare (Gazetted) Service				
1		Director	1			By Deputation/ Transfer from All India Services.
2		Joint Director	1		100 Percent	By Promotion from Deputy Director/ Divisional Sports and Youth Welfare Officer

S.No.	Name of Department	Name of Service	Total no. of duty post	Percentage of the number of duty posts to be filled in		
				By Direct Recruitment Vide Rule 6(a)	By promotion of substantive member of the service vide rule 6(b)	By Transfer of Pers. from other service vide rule 6(c)
1	2	3	4	5	6	7
3		Deputy Director Divisional Sports and Youth Welfare Officer. Administrative Officer, Assistant Director District Sports and Youth Welfare Officer	5 7	----- -----	100 Percent 100 Percent	One post of Deputy Director will be fulfilled by Transfer / Deputation from officers working in equivalent cadre of Treasury & Accounts. Balance 4 posts will be fulfilled by promotion of Sports Officer / Youth Welfare Officer / Administrative Officer / Assistant Director / District Sports and Youth Welfare Officer
4		Sports Officer	1	100 Percent	-	Not applicable
		Youth Welfare Officer	1	100 Percent	-	Not applicable
		Administrative Officer	1	-	100 Percent	By Promotion from Superintendent/Stenographer Grade-2
		Assistant Director	3	67 Percent	33 Percent	By Promotion from Superintendent / Stenographer Grade - 2
		District Sports and Youth Welfare Officer	50	75 Percent	25 Percent	By Promotion from Administrator/ Warden/ Trainer

SCHEDULE-III

(See Rule-8)

S.N.	Name of Department	Name of Service	Minimum age limit	Upper age limit	Education/ Qualification prescribed
	2	3	4	5	6
	Sports and Youth Welfare	1. Sports Officer 2. Youth Welfare Officer 3. District Sports & Youth Welfare Officer 4. Assistant Director	21	35	Graduate with M.P. Ed/M.P.E. and Representation in National Games or recognized Senior National Championship

SCHEDULE-IV
(See Rule-13)

Name of Department	Name of Service or post from which promotion is to be made	Name of Service or post to which promotion is to be made	Experience for Promotion	Name of members of Departmental Promotion Committee (Vide Rule 13)		Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Sports & Youth Welfare	1. Deputy Director 2. Divisional Sports & Youth Welfare Officer	Joint Director	5 years	1. Chairman Public Service Commission or Member of PSC nominated by him	Chairman	Promotion will be made on the basis of merit cum seniority
				2. Addl Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary of the Department.	Member	
				3. Director, Sports and Youth Welfare	Member	
				4. Representative from equivalent cadre officer of Scheduled caste/ Schedule tribe	Member	
Sports & Youth Welfare	1. Sports Officer 2. Youth Welfare Officer 3. Assistant Director 4. Administrative Officer	Deputy Director	5 years	1. Chairman Public Service Commission or Member of PSC nominated by him	Chairman	Promotion will be made on the basis of seniority cum merit
				2. Addl Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary of the Department.	Member	
				3. Director, Sports and Youth Welfare	Member	
				4. Representative equivalent cadre officer of Scheduled cast/ Schedule tribe	Member	
Sports & Youth Welfare	District Sports and Youth Welfare Officer	Divisional Sports & Youth Welfare Officer	5 years	1. Chairman Public Service Commission or Member of PSC nominated by him	Chairman	Promotion will be made on the basis of seniority cum merit
				2. Addl Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary of the Department.	Member	
				3. Director, Sports and Youth Welfare	Member	
				4. Representative equivalent cadre officer of Scheduled cast/ Schedule tribe	Member	
Sports & Youth Welfare	Suprintendent/ Stenographer Grade-2	Administrative Officer, Assistant Director	5 Years	1. Chairman Public Service Commission or Member of PSC nominated by him	Chairman	Promotion will be made on the basis of seniority cum merit
				2. Addl Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary of the Department.	Member	
				3. Director, Sports and Youth Welfare	Member	
				4. Representative equivalent cadre officer of Scheduled cast/ Schedule tribe	Member	

Name of Department	Name of Service or post from which promotion is to be made	Name of Service or post to which promotion is to be made	Experience for Promotion	Name of members of Departmental Promotion Committee (Vide Rule 13)		Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Chairman Public Service Commission or Member	Administrator/ Warden/Trainer	District Sports and Youth Welfare Officer	5 Years	1. Chairman Public Service Commission or Member of PSC nominated by him 2. Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary of the Department. 3. Director, Sports and Youth Welfare 4. Representative equivalent cadre officer of Scheduled cast/ Scheduled tribe	-do-	Promotion will be made on the basis of seniority cum merit

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ASHOK SHAH Secy.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक-389]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 5 सितम्बर 2012—भाद्र 14, शक 1934

खेल एवं युवा कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2012

क्र. एफ-1-11-2009-नौ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश खेल एवं युवा कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(एक) विद्यमान अनुसूची दो के स्थान पर, निम्नलिखित नई अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिए)

अनु. क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		
				सीधी भरती द्वारा नियम 6(क) देखिए	सेवा के मूल संदर्भों की पदोन्नति द्वारा नियम 6(ख) देखिए	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा नियम 6 (ग) देखिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

खेल और युवा कल्याण विभाग मध्यप्रदेश युवा कल्याण (राजपत्रित) सेवा

संचालक

1.

1

अखिल भारतीय सेवाओं से प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	संयुक्त संचालक	1	-	100 प्रतिशत	उप संचालक/संभागीय खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा	
3.	1. उप संचालक का एक पद 5 वर्ष	5	-	100 प्रतिशत	उप संचालक का एक पद मध्यप्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति से भरा जावेगा। शेष पद खेल अधिकारी/युवा कल्याण अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/सहायक संचालक/ जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।	
	2. संभागीय खेल और युवा कल्याण अधिकारी	7	-	100 प्रतिशत		
4.	1. खेल अधिकारी	1	100 प्रतिशत	-		
	2. युवा कल्याण अधिकारी	1	100 प्रतिशत	-		
	3. प्रशासनिक अधिकारी	1	-	100 प्रतिशत	अधीक्षक/स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 से पदोन्नति द्वारा	
	4. सहायक संचालक	3	67 प्रतिशत	33 प्रतिशत	अधीक्षक/स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 से पदोन्नति द्वारा	
	5. जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी	50	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	प्रशासक/ वार्डन/ प्रशिक्षक से पदोन्नति द्वारा	

(दो) विद्यमान अनुसूची चार के स्थान पर, निम्नलिखित नई अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अनुसूची-चार
(नियम 13 देखिए)

अनु क्र.	उस सेवा या पद का नाम, जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	पदोन्नति के लिए अनुभव	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1. उप संचालक 2. संभागीय खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी	संयुक्त संचालक	5 वर्ष	1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य —अध्यक्ष	पदोन्नति योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर की जावेगी।
				2. विभाग के अपर मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव/सचिव	—सदस्य
				3. संचालक, खेल और युवा कल्याण—सदस्य	
				4. समकक्ष संवर्ग का अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधि	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	1. खेल अधिकारी 2. युवा कल्याण अधिकारी 3. सहायक संचालक 4. प्रशासनिक अधिकारी 5. जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी.	1. उप संचालक 2. संभागीय खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी.	5 वर्ष	1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य 2. विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव 3. संचालक, खेल और युवा कल्याण 4. समकक्ष संवर्ग का अनुसूचित जाति/ जनजाति का प्रतिनिधि	1. पदोन्नति वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर 2. फीडिंग कॉडर के अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठताक्रम अनुसार पदोन्नति के संबंध में विचार किया जायेगा. —सदस्य
3.	अधीक्षक/ स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	प्रशासनिक अधिकारी/ सहायक संचालक.	5 वर्ष	1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य 2. विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव 3. संचालक, खेल और युवा कल्याण 4. समकक्ष संवर्ग का अनुसूचित जाति/ जनजाति का प्रतिनिधि	1. पदोन्नति वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर 2. फीडिंग कॉडर के अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठताक्रम अनुसार पदोन्नति के संबंध में विचार किया जायेगा. —सदस्य
4.	प्रशासक/ वार्डन/ प्रशिक्षक.	जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी.	5 वर्ष	1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य 2. विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव 3. संचालक, खेल और युवा कल्याण 4. समकक्ष संवर्ग का अनुसूचित जाति/ जनजाति का प्रतिनिधि	1. पदोन्नति वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर 2. फीडिंग कॉडर के अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठताक्रम अनुसार पदोन्नति के संबंध में विचार किया जायेगा. —सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अशोक शाह, सचिव.

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2017—पौष 30, शक 1938

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2017

क्र. एफ. 1-11-09-नौ.—मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

1. मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988 के नियम-2 (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—
(झ) अनुसूची-3 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों की सीधी भरती हेतु विहित की गई शैक्षणिक अर्हताएं एवं वेतनमान तथा अनुसूची-4 के द्वितीय पंक्ति के कॉलम (3) में पदोन्नति के समान अवसर होने के कारण इन चारों पदों का सामूहिक रूप से संवर्ग (Cadre) मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण सेवा (SYWS) होगा.
2. मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988 के नियम-11(1) को विलोपित कर उसके स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे :—
“मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण सेवा (SYWS) के पदों पर संयुक्त रूप में सीधी भरती प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार से अथवा केवल साक्षात्कार से होगी, जिसका निर्णय लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक अवसर पर लिया जाएगा.
आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए योग्यता क्रम में प्रेषित अभ्यार्थियों की सूची में से सरकार द्वारा मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण सेवा (SYWS) संवर्ग (Cadre) के किसी भी पद पर पदस्थ किया जा सकेगा, जो आपस में स्थानान्तरण योग्य होगा.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सचिन सिन्हा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2017

क्र. एफ. 1-6-2015-नौ.—मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम 1988 के संबंध में संशोधन हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-11-2009-नौ, दिनांक 5 सितम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सचिन सिन्हा, सचिव.

Bhopal, the 20th January 2017

No. F-1-11-2009-IX.—The Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Sports and Youth Welfare (Gazetted) Services Recruitment Rules 1988, namely:—

AMENDMENT

1. In the Madhya Pradesh Sports & Youth Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1988 Rules 2 (h) the following clause (i) shall be added, namely:—

- (i) As prescribed educational qualification & pay scales for posts of direct recruitment specified in column (2) of Schedule (3) and all four post to be filled by Identical opportunity for promotion in column (3) of row (2) of schedule-4 shall be jointly called cadre of sports and youth welfare Services (SYWS).

2. Madhya Pradesh Sports & Youth Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1988 Rules 11(1) has been omitted and as read following clause shall be substituted:—

“Direct recruitment for appointment to the posts of Sport and Youth Welfare Services (SYWS) shall be through Competitive Examination & Interview or by Interview only as per decision taken by Public Service Commission on every occasion.

Based on the list of candidates provided by the Public Service Commission in the cadre of SYWS, the Government will issue the appointment and posting orders to any to these posts on transferable condition.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SACHIN SINHA, Secy.